दहेज दानव एक बुराई

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

दहेज को दानव की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से दानव मानव को अनेक रूपों में परेशान करता है उसी प्रकार दहेज भी समाज में व्याप्त होकर समाज को विनष्ट कर रहा है। दहेज का अर्थ है विवाह होने के बाद जब लड़की अपने पति के घर जाती है तो लड़की के माता–पिता उसे अपनी इच्छानुसार प्रेम से उपहार देते है तो यह उपहार दहेज कहलाता है। किन्तु आजकल यह एक सामाजिक बुराई हो गयी है। इसका रूप कुछ बदल गया है। जब लड़की की शादी निश्चित होती है तो लड़के के पिता लड़के के विवाह के बदले मोलतोल करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि लड़की के पिता को बाध्य करके उससे दहेज लिया जाता है। यह बुराई केवल अशिक्षित परिवार के साथ ही नहीं है बल्कि शिक्षित परिवार के साथ भी होती है। जो जितना अधिक सुशिक्षित या जितना बड़ा अधिकारी होता है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। समाज का हर वर्ग इस बुराई से ग्रसित है। इस संसार में प्रायः सभी लोग लड़के और लड़कियों वाले होते है। लड़के के विवाह में दहेज लिया जाता है और लड़की के विवाह में दहेज दिया जाता है। इस समस्या का सामना प्रायः सभी को करना पड़ता है फिर भी यह समस्या समाप्त नहीं हो रही है इसका परिणाम यह होता है कि लड़की को पैदा होने से पहले ही गर्भ में लोग मार डालते है, जिससे इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाये। दहेजरूपी दानव समाज के सामने मुंह बाये खड़ा रहता है इसी डर से जब यह पता चलता है कि भ्रूण लड़की है तो उसको गर्भ में ही समाप्त कर देते है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आजकल लिंगानुपात बिगड़ गया है। अगर समय रहते इस समस्या को सुलझाया नहीं गया तो समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हो जायेगी। भारत में दहेज की पुरानी प्रथा है। मनुस्मृति में रामायाण महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में भी दहेज का उल्लेख है। किन्तु आज के स्वरूप से भिन्न है। पहले इच्छानुसार प्रेम से मां–बाप लड़की को उपहार देते थे। किन्तु आजकल यह दहेज के रूप में समाज मे प्रचलित हो गया है और बाध्य करके लड़की के पिता से वसूला जाता है। यद्यपि दहेज को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है किन्तु यह कानून उतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। दहेज मांगना और देना दोनों निन्दनीय अपराध है। जब वर और कन्या दोनों की शिक्षा–दीक्षा समान है, जब दोनों रोजगार मे लगे हुए है, दोनों समान गुणधर्म वाले है तो फिर दहेज की मांग क्यों की जाती है? कन्यापक्ष की मजबूरी का नाजायज फायदा क्यों उठाया जाता है? संभवतः इसलिए की समाज में अच्छे वरों की कमी है तथा योग्य लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते है। भारत में कुछ ऐसी जातियां है जहां वर को नहीं बल्कि कन्या को दहेज देकर ब्याह कर लेते है।

लेकिन ऐसा कम ही होता है। दहेज के लोभी माता–पिता यही चाहते है कि कन्या अपने मायके वालों से सदैव कुछ न कुछ लेकर आये और उनका घर भरती रहे। वे अपने लड़के को पैसा पैदा करने की मशीन समझते है और बेचारी बहू को मुर्गी, जो रोज उन्हें सोने का अंडा देती रहे। जो धन–धान्य सम्पन्न माता–पिता है वे तो बेटी की मांग पूरी करते रहते है। किन्तु जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं है उनके लिए यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता–पिता बेटी को उपहार देकर वर के घर भेज देते है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी को कुछ न कुछ देते रहते है। किन्तु जब उन पर दबाव डालकर और अधिक वसूला जाता है तो इससे वह परेशान होकर कभी–कभी आत्महत्या तक कर लेते है। यदि वर पक्ष की फरमाइश पूरी न की गई तो हो सकता है कि उनकी बेटी प्रताड़ित की जाये, उसे यातना दी जाये और यह भी संभव है कि उसे जला दिया जाये। न जाने ऐसे कितने उदाहरण प्रतिदिन पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते है। दहेज–दानव को रोकने के लिए सरकार को और शख्त कदत उठाना चाहिए। दहेज कानून को और शख्त बनाया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। किन्तु लगता यह है कि इस कानून में कोई कमी अवश्य रह गयी है। न तो दहेज लेने में कोई अन्तर आया है और न ही नव युवतियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं अथवा उनकी हत्याओं में ही कमी आयी है। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले ही एक मोटी रकम कन्या पक्ष वालों से वसूल लेते है। जहां तक समान का प्रसन्न है टी.वी., सोफासेट, आलमारी, डाइनिंग टेबल, जंजीर, अंगूठी, घड़ीं ये सभी चीजें पहले ही वर पक्ष की शोभा बढ़ाने के लिए उनके घर भेज दी जाती है या विवाह के समय जब लड़की अपने ससुराल जाने लगती है उस समय भेज दी जाती है। दहेज के कलंक और दहेजरूपी सामाजिक बुराई को केवल कानून के भरोसे नहीं रोका जा सकता, इसको रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलजुलकर प्रयास करना पड़ेगा। विवाह अपनी–अपनी जाति में करने की जो परम्परा भारत में प्रचलित है उसे तोड़ना होगा तथा अन्तर्राज्यीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा तभी दहेज लेने और देने के मौके कम होंगे। दहेज की बुराई प्रायः सभी जातियों में एकसमान है। भारत में जितने भी धर्म और सम्प्रदाय है उन सभी में यह बुराई समान रूप से व्याप्त है। दहेज का दानव धीरे–धीरे इतना भयंकर रूप धारण करते जा रहा है कि इसको अगर तत्काल समाप्त न किया गया तो भ्रूण हत्या कभी बन्द नहीं हो सकती।